न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 07/2024	तारीख रजू 02.04.2024	निर्णय दिनांक 09.04.2024

सरकार बनाम नशीर खांन

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि नशीर खांन पुत्र बशीर जाति गद्दी निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 8/1120 व 7/1121 में कुल रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 पाल पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से गैहूं की फसल काश्तकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि ख0नं0 8/1120 व 7/1121 कुल रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 पाल में कोई अवैध अतिचार नहीं किया है। यदि मौके पर प्रार्थी का उक्त भूमि में कोई अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे छोड़ देगा। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर अवैध अतिचार नही करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा भूमि ख0नं0 8/1120 व 7/1121 कुल रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 पाल में अवैध रूप से गैहूं की फसल काश्त कर रखी है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की।

उभयपक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये, उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार